

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3, नरेगा)



क्रमांक एफ 40(14)ग्रावि/नरेगा/मैब्युल/2010

जयपुर, दिनांक: 13/7/11

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,  
समस्त जिले (भरतपुर को छोड़कर), राजस्थान।

विषय : बीएसआर दरों एवं अन्य कारणों से महात्मा गांधी नरेगा योजना  
के कार्यों में आने वाली समस्याओं के निराकरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम, ईजीएस, भरतपुर द्वारा बीएसआर दरों में परिवर्तन एवं अन्य कारणों से नरेगा योजना के कार्यों के संचालन में आ रही समस्याओं के निराकरण का अनुरोध किया गया था। उनके द्वारा प्रेषित समस्याओं के बिन्दुओं पर प्रेषित बिन्दुवार समाधान संबंधी पत्र की प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

कृपया इस पत्र की प्रति प्रत्येक कार्यकारी संस्था, ग्राम पंचायत एवं समस्त अभियंतागण को उपलब्ध करा दें ताकि समान समस्याओं का निराकरण हो सके।

भवदीय,

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।  
(C/452-453)

(रामनिवास मेहता)

परि० निदे० एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त (भरतपुर को छोड़कर), राजस्थान।
2. अधिशाषी अभियंता, जिला परिषद समस्त (भरतपुर को छोड़कर), राजस्थान।

परि० निदेशक एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्र. एफ 40(14)ग्रावि/नरेगा/मैनुअल/2010

जयपुर, दिनांक: 24/5/11

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम, ईजीएस एवं  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,  
भरतपुर।

विषय: बीएसआर दरों एवं अन्य कारणों से महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यों में  
आने वाली समस्याओं के निराकरण बाबत।

विषय: आपका पत्रांक एमजीएनआरईजीएस/10/696 दिनांक 02.05.2011


महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा बीएसआर दरों एवं अन्य कारणों से महात्मा  
गांधी नरेगा योजना के कार्यों के संचालन में आ रही समस्याओं के निराकरण का अनुरोध  
किया गया है। आप द्वारा मार्गदर्शन हेतु प्रेषित बिन्दुओं पर बिन्दुवार प्रस्तावित समाधान का  
विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	मार्गदर्शन हेतु बिन्दु	प्रस्तावित समाधान
1.	विभाग के आदेश क्रमांक एफ1(2)ग्रावि/नरेगा/माद/10 जयपुर दिनांक 30.12.10 के बिन्दु संख्या एक के अनुसार कार्य की लागत में 10 प्रतिशत तक वृद्धि होने के स्थिति में संशोधित तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की जायेगी। केवल संशोधित वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी। इस क्रम में निवेदन है कि बिना संशोधित तकनीकी स्वीकृति के क्या अन्तर विवरण पत्र के आधार पर संशोधित वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी। कृपया स्पष्ट करावे।	कार्य की लागत में 10 प्रतिशत तक वृद्धि होने की स्थिति में सिर्फ अन्तर विवरण पत्र (तकनीकी मैनुअल-2010 परिशिष्ट-8) के आधार पर संशोधित वित्तीय स्वीकृति (परिशिष्ट-11 ब) में जारी की जावेगी। संशोधित तकनीकी स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
2.	यदि कार्य स्वीकृत राशि में ही पूर्ण हो जाता है लेकिन बीएसआर दरों में परिवर्तन एवं कार्य की वास्तविक स्थिति में परिवर्तन होता है। तो क्या केवल अन्तर विवरण पत्र जारी किया जायेगा या संशोधित तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।	कार्य स्वीकृत राशि में पूर्ण हो जाता है लेकिन बीएसआर दरों में परिवर्तन एवं कार्य की वास्तविक स्थिति में परिवर्तन होता है तो संशोधित तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन ऐसी स्थिति में यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि स्वीकृत तकनीकी के किसी भी आईटम की मात्रा में 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं हो क्योंकि इससे कार्य की प्रकृति में बदलाव होने की सम्भावना रहती है एवं कार्य का मूलस्वरूप ही बदल सकता है।

3.	राजीव गांधी सेवा केन्द्रों में भी विभाग द्वारा सौलर सिस्टम के 28133 रु. बढ़ाये जाने एवं लेबर दरों में परिवर्तन व जिला दर निर्धारण समिति द्वारा नवीन दर अनुसूचित जारी होने के कारण यह राशि 10 लाख से बढ़कर लगभग 12 लाख तक हो गयी. है तो क्या पहले सभी केन्द्रों की संशोधित वित्तीय स्वीकृति जारी की जावे या कार्य पूर्ण हो जाने पर अन्तर विवरण पत्र के आधार पर ही संशोधित वित्तीय स्वीकृति जारी की जावे। कृपया स्पष्ट करावे।	राजीव गांधी सेवा केन्द्रों की लागत में वृद्धि होने की स्थिति में तकनीकी मार्गदर्शिका-2010 के बिन्दु संख्या 7.4.2 के उप बिन्दु (vi) अनुसार कार्यवाही की जावे जो कि निम्न प्रकार है :-  "जैसे ही विदित हो कि किसी भी प्रगतिरत कार्य को पूर्ण कराने के लिए पूर्व में उपलब्ध स्वीकृति को संशोधित करवाया जाना आवश्यक है, ऐसी स्थिति में तत्काल स्वीकृति को संशोधित कराने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावे। "
4.	दिनांक 30.12.10 के परिपत्र अनुसार 25 प्रतिशत से अधिक राशि की संशोधित तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की जाने का प्रावधान रखा गया है ऐसी स्थिति में 25 प्रतिशत से अधिक अन्तर राशि के कार्यों को किस तरह से पूरा किया जायेगा। कृपया स्पष्ट करावें।	किसी भी कार्य की 25 प्रतिशत से अधिक राशि की संशोधित तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की जावेगी। ऐसी स्थिति में प्रगतिरत कार्य को Safe Stage पर लाकर पूर्ण मान कर बन्द कर दिया जावे तथा शेष बचे अधूरे कार्य को नये कार्य के रूप में स्वीकृत करवाया जावे। इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि कार्य में Duplicacy न हो। इस बाबत सम्बन्धित कार्मिक की जिम्मेदारी भी तय की जावे।
5.	क्या पूर्व में संशोधित वित्तीय स्वीकृति वाले कार्यों को दुबारा संशोधित किया जा सकता है। कृपया स्पष्ट करावें।	पूर्व में संशोधित वित्तीय स्वीकृति वाले कार्यों को दुबारा मूल स्वीकृति की 25 प्रतिशत अधिक लागत तक पुनः संशोधित किया जा सकता है। ऐसा केवल उन्हीं परिस्थितियों में किया जावे जब श्रमिकों की दरों में वृद्धि हुई हो एवं निर्माण सामग्री की दरों में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई हो।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही करावें।

भवदीय,  
  
 24/5/11  
 (रामनिवास मेहता)  
 परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस